



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 3077 / अका. / सम्बद्धता / 2015

रायपुर, दिनांक : 16 / 03 / 2015

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 12.01.2015 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.02.2015 के निर्णयानुसार नवीन शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा, जिला-राजनांदगांव को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :-


क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.A. -II - Hindi, English (F.C.), Sociology, Economics, Political Sc.	60	2014-15
2.	B.Sc. -II- (F.C., Chemistry, Botany, Zoology)	60	
3.	B.Com.-II (Compulsory Subject)	60	

शर्त :-

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.काम. तृतीय वर्ष की सम्बद्धता हेतु 30 जून 2015 तक शुल्क जमा कर आवेदन विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से दें।
- जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

टीप : उक्त विषय की सम्बद्धता शुल्क रु. 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपए मात्र) अतिशीघ्र विश्वविद्यालय कोष में जमा कर रसीद की प्रति उपलब्ध करावें।

आदेशानुसार,


उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 3078 / अका. / सम्बद्धता / 2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 16 / 03 / 2015

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा,
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

[प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।] विश्वविद्यालय के आदेश क्रमंक 1193/अक/2014 रायपुर दिनांक 31/9/2014 के परिपालन में संलग्न महाविद्यालय के B.A II 60, B.Sc II 60 एवं B.Com II 60 हेतु दिनांक 16/12/2014 को निरीक्षण किया एवं पाया।


- ① महाविद्यालय उप भाग वि० के भवन में संचालित है जिसमें 09 कमरे महाविद्यालय की कक्षयंत्र, कक्षयंत्र पुस्तकालय, लिखा एवं कार्यालयीन कार्य हेतु भी गई है।
- ② प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि सरकार द्वारा भवन हेतु शर्त स्वीकृत की गई है एवं भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।
- ③ महाविद्यालय में शासन द्वारा 11 पद स्वीकृत हैं


निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षर (01 प्राचार्य एवं 10 शिक्षक) एवं वर्तमान में 01 प्रभारी प्राचार्य, 02 नियमित एवं 06 Guest निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम - पता Faculty वर्ग कर रहे हैं।


④ महाविद्यालय के अथागार में छात्र संख्या विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पता के अनुपात में विषयवार पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।

दिनांक ⑤ विज्ञान विषय में प्रायोगिक कार्य हेतु छात्र संख्या के अनुपात में उपकरण कम है और उपकरण क्रय किये जाने की आवश्यकता है।

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)


प्रो. ए. के. गुप्ता
31/12/14


31/12/2014
(प्रो. पी. केशम)


31/12/14
प्रो. ए. के. श्रीवास्तव